न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 28 / 2017 राजस्व अपील

1. देवनारायण गुर्जर पुत्र श्री सुखचन्दा जाति गुर्जर निवासी ग्राम फर्राशपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय
2. उप तहसीलदार बहरावण्डा उपतहसील बहरावण्डा

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व विरूद्ध आदेश दिनांक 08.03.2017 क्रमांक आर.ए./017/76 उपतहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित किया गया

उपस्थिति : श्री हुकम सिंह, अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: श्री चन्द्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता उप0।

–:निर्णय :–

दिनांकः 05.01.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नं. 959, 960 ग्राम फर्राशपुरा में स्थित है जो कि सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि है जिसमें एक पानी की खेल बनी हुई है व एक पानी की टंकी रखी हुई है। उक्त पानी की टंकी व खेल को अपीलान्ट अपनी निजी बोरिंग से भरता है तथा उक्त भूमि में एक मंदिर भी बना हुआ है उक्त आराजी में निर्मित मंदिर, पानी की टंकी, पानी की खेल एवं अन्य जो भी निर्माण है उनका उपयोग उपभोग आम जन सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है अर्थात उक्त आराजी सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि है अकेले अपीलान्ट का उक्त आराजी से कोई संबंध नही है किन्तु योग्य अधिनस्थ उपतहसीलदार बहरावण्डा ने अपने आदेश दिनांक 08.03.2017 के द्वारा उक्त आराजी

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

में निर्मित पक्का निर्माण को अपीलान्ट का अतिक्रमण बताते हुए उसे तोडने का आदेश परित फरमा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 08.03.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। आराजी खसरा नं. 959 व 960 में जो पुख्ता पक्का निर्माण है वह सार्वजनिक है तथा उक्त भूमि का उपयोग उपभोग सार्वजनिक रूप से किया जा रहा है। उक्त आराजी में एक पानी की टंकी बनी हुई है व पानी की एक खेल बनी हुई है। जिसमें ग्राम फर्राशपुरा के मवेशी पानी पीते है तथा उक्त आराजी में ही एक मंदिर बना हुआ है। जिसमें श्रृद्वालु आते है, पूजा अर्चना करते है। उक्त आराजी में बनी पानी की टंकी व खेल को अपीलान्ट अपनी खातेदारी भूमि में स्थित बोरिंग से भरता है व उक्त आराजी में स्थित मंदिर की सेवा पूजा अर्चना अपीलान्ट ही करता आ रहा है। अपीलान्ट का उक्त आराजी में निजी स्वार्थ या अतिक्रमण नही है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा ने मौके की वस्तुस्थिति को रिकार्ड पर लिये बगैर व बिना मौका निरीक्षण किये उक्त आराजी में अपीलान्ट का अतिक्रमण मानकर उसे तोडने का आदेश पारित फरमा दिया। जिससे आम जन के हित प्रभावित होगें। ग्राम पंचायत फर्राशपुरा ने अपीलान्ट को उक्त आराजी एवं इसमें बने मंदिर, पेड पौधे, पानी की टंकी व पानी की खेल आदि की साल सम्भाल करने हेतु अधिकृत कर रखा है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा का आदेश दिनांक 08.03.2017 को निरस्त फरमावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम फर्राशपुरा तहसील सिकराय स्थित खसरा नं. 959, 960 सिवायचक भूमि पर पुख्ता पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने पर उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा

अति० जिला कलक्टर
दौसा

अतिक्रमी अपीलान्ट को उक्त अतिक्रमीत सिवायचक भूमि को खाली करने हेतु नोटिस क्रमांक 76 दिनांक 08.03.2017 जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है। अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ठ है कि अपीलान्ट को प्रश्नगत सिवायचक भूमि को 15 दिवस में खाली करने अन्यथा पुख्ता निर्माण को नियमानुसार तुडवाने की कार्यवाही करने बाबत नोटिस जारी किया गया है। किन्तु अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण नही होना एवं भूमि तथा उस पर निर्मित पानी की टंकी व मंदिर आदि का सार्वजनिक उपयोग व उपभोग होना व्यक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण उप तहसीलदार बहरावण्डा को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा जारी नोटिस क्रमांक 76 दिनांक 08.03.2017 को निरस्त करते हुए प्रकरण उप तहसीलदार बहरावण्डा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुए तथ्यो की जांच कर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाय जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 05.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा